भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1041
13 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें

1041 श्री डी. एम. कथीर आनन्द:
श्री अनुराग शर्मा:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने वाली एम.एस. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों का अनुसरण किया है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा और एमएसपी प्रदान किए गए उत्पादों की सूची क्या है;

(ख) सरकार द्वारा सभी आवश्यक कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी तय करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार की यह सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच और निगरानी प्रणाली है कि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित एमएसपी मिले और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) की सिफारिशों में से एक यह थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भारित औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए।

इस संबंध में, सरकार ने अपने केंद्रीय बजट2018-19 में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर बनाए रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की थी। तदनुसार, सरकार ने कृषि वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के एमएसपी में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत के मुनाफे के साथ वृद्धि की है। एमएसपी के तहत आने वाली अधिदेशित कृषि फसलों की सूची अनुबंध में दी गई है।

(ख) एमएसपी के ढांचे में फसलों को शामिल करना कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्यों के साथ, अपेक्षाकृत अधिक शेल्फ लाइफ, व्यापक रूप से उगाई जाने वाली, बड़े पैमाने पर खपत की वस्तु शामिल हैं। एमएसपी के दायरे में नई फसलों को जोड़ते समय सरकार समय-समय पर उपर्युक्त उल्लिखित कारकों की जांच करती है।

(ग) एमएसपी नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के मूल्य समर्थन का प्रचालन करती है। इस नीति के तहत, किसानों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर और सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप जो भी खाद्यान्न पेश किया जाता है उसे केंद्रीय पूल के लिए एफसीआई सहित राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर खरीदा जाता है। इसके अलावा, समग्र योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान

(पीएम-आशा) के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत पंजीकृत किसानों से उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के तिलहन, दलहनों और कोपरा की खरीद संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से एमएसपी पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार तबकी जाती है जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिर जाता है। भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से सरकार द्वारा कपास और पटसन की खरीद भी एमएसपी पर की जाती है।

सरकार की मूल्य नीति, किसानों से उनके उत्पादों को एमएसपी पर खरीदकर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती है। हालांकि, किसान अपने उत्पादो को सरकारी खरीद एजेंसियों को एमएसपी पर अथवा खुले बाजार में, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

अनुबंध

दिनांक 13.12.2022 को देय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1041 के उत्तर के भाग (क) में उललिखित अनुबंध

अधिदेशित कृषि फसलें

क्र.सं.	जिन्स
	खरीफ फसलें
1	धान
2	ज्वार
3	बाजरा
4	रागी
5	मक्का
6	तूर (अरहर)
7	मूंग
8	उड़द
9	मूंगफली
10	सुरजमुखी बीज
11	सोयाबीन
12	तिल
13	रामतिल
14	कपास
	रबी फसलें
15	गेहूँ
16	जौ
17	चना
18	मसूर (लेंटल)
19	रेपसीड और सरसों
20	कुसुम्भ
	अन्य फसलें
21	कोपरा
22	पटसन
23	गन्ना*

***** गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित है।

*****